

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

:- कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु विद्यार्थी संख्याओं की अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संभल चुकी। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता/पूर्व से सौकरित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बड़ी पर विचार जसो हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मर-3 में विद्यार्थी पाठ्यक्रम सौकरित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


"विद्यार्थी क्षेत्र में स्थापित विद्यार्थी द्वारा फार्मसी पाठ्यक्रम सौकरित करने वाली संस्थाएँ, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पीठसीआईओ द्वारा पूर्ण सहाय्य अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पीठसीआईओ द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मूल अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पीठसीआईओ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नलिखित शर्तों की अधीन पाठ्यक्रम एवं प्रवेश अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पीठसीआईओ द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पीठसीआईओ/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	4144 साईनथ कॉलेज ऑफ फार्मसी, डिपेंड-हिन्दुवारी, रावरीकण्डा, हिन्दुवारी, कोणार्ड।	विद्यार्थी इन फार्मसी	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पीठसीआईओ/पीठसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एल 1952 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवारी 1992, सेमेस्टर विनियमवारी-2016 तथा अन्य निहित विधान एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इकाई पाठ्यक्रमों हेतु रु 30,150.00/- प्रतिवर्ष की वार्षिक फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक सत्रा के वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु 22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समत-समत पर साक्ष्य प्राप्त किया जाने वाले साक्ष्यपत्र प्रस्तुत होने, और तदनुसार कार्यवाही किया


राजेंद्र कुमार
 अध्यक्ष
 साईनथ कॉलेज ऑफ फार्मसी
 हिन्दुवारी (बुंदेलखंड)


PRINCIPAL
 SAINATH COLLEGE OF PHARMACY
 HINDUWAR, SONEBHADRA

ज्यादा आवश्यक होगा। नीचे निर्धारित समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु बीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो बीस को नवीकरण की जायेगी।

- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उच्च समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमबन्धी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उल्टा प्रवेश आसन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शहानादेश के अनुसार नियोजन एवं सम्बद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा समितियों/प्रीमरी/सेकेंडरी) से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उल्टा प्रवेश आसन द्वारा बजाये गये विधि/नियमों/अविवेकपूर्ण/शहानादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, उपायुक्त समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उपायुक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उपायुक्त प्राथमिक शिक्षा, उपायुक्त प्राथमिक शिक्षा, उपायुक्त प्राथमिक शिक्षा, उपायुक्त प्राथमिक शिक्षा के निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ द्वितीयक इन कार्नेली कार्यक्रमों की संस्थाएं यदि पीसीआई यूई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उल्लेखित संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संभव उपाय उपलब्ध नहीं होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उल्टा प्रवेश आसन को उचित ढंग पर धारण किया जाता है तथा धारण कर के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ द्वितीयक इन कार्नेली कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं को समुदाय प्रवेश परीक्षा परिषद, उल्टा प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआई यूई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायंथन को उपलब्ध कराना होगा अथवा उक्त प्रवेश की (काउन्सिलिंग की माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर शीटों प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उल्टा प्रवेश आसन द्वारा प्रवेश हेतु निर्मित नवीकरण आवासन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की दीर्घकालिक पुस्तिका, स्टाफ, समय-समय, उपकरण, जल दिया जाने वाला सुविधा, आवासन सुविधा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने को संस्था संवेदन रखने को सम्बन्ध में समस्त आवश्यक मासिक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रमों को चलाने वाले हेतु निर्धारित समिति के समस्त उपलब्ध बजाये गये उचित/समय, प्राथमिक, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम में संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का पालन किये जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(100 आरक्षणों लिए)
सचिव

पुस्तक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-2141,

तद् दिनांक: 15-09-2020

प्राथमिक-प्रधानाचार्य/निदेशक, साईनाथ कॉलेज ऑफ फार्मेसी, विन्डुवारी, सॉनेभद्रा, विन्डुवारी, सोनेभद्रा।

(100 आरक्षणों लिए)
सचिव

Rajendra Kumar
(100 आरक्षणों लिए)
अध्यक्ष
साईनाथ वेनिटेडुल ट्रस्ट
सोनेभद्रा (यूपीए)

Rajendra Kumar
PRINCIPAL
SAINATH COLLEGE OF PHARMACY
HINDUWARI, SONEBHADRA

कार्यालय

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिया/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय शाय:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।


सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4144-SAINATH COLLEGE OF PHARMACY VILL HINDUWARI
ROBERTSGANJ, HINDUWARI, SONBHADRA- 231216

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था को (उ० प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।


राजेंद्र कुमार
अध्यक्ष
संज्ञान संशोधन एवं
प्रशिक्षण (उ० प्र०)


PRINCIPAL
SAINATH COLLEGE OF PHARMACY
HINDUWARI, SONBHADRA

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में ना. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंखा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता राशों का अनुपालन न किये जाने अथवा राशों का उत्सर्जन किये जाने की स्थिति में निपमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)


सचिव

पु०सं०- प्राशिषा/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, SAINATH COLLEGE OF PHARMACY VILL HINDUWARI ROBERTSGANJ,
HINDUWARI, SONBHADRA- 231216


राजेश कुमार
अध्यक्ष
नॉईयास सेरिटेबल ट्रस्ट
वाराणसी (पु०सी०)


PRINCIPAL
SAINATH COLLEGE OF PHARMACY
HINDUWARI, SONBHADRA

(Handwritten Signature)
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

(Handwritten Signature)
राजेश कुमार)
अध्यक्ष
सिडको संशोधन संस्थान
वाराणसी (उत्तरप्रदेश)

PRINCIPAL
SARVATI COLLEGE OF PHARMACY
HINDIPUR, SONBHADRA